भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .639

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

एनएच-4 को एनएच-173 से जोड़ना

639. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वीकृत 143 किलोमीटर मुदिगेरे-होलालकेरे (एनएच-173) को दावणगेरे जिले में अनागोडु तक विस्तारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में है कि अनागोडु तक एनएच-173 का विस्तारीकरण, एनएच-4 और एनएच-173 को जोड़ेगा, जो लाखों यात्रियों के लिए लाभकारी होगा और इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा; और

(ग) यदि हां, तो एनएच-4 और एनएच-173 को कब तक जोड़ा जाएगा?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। होललकेरे (एनएच-173) को अनागोडु (एनएच-48) से जोड़ने वाली सड़क एक राज्यीय सड़क है और राज्यीय सड़कों का विकास संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को कर्नाटक राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि से राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित करने/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। सरकार संपर्कता, पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात के स्तर और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर समय-समय पर कुछ राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार करती रहती है।

*****